# पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in


पत्र संख्या- 2451/2024

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.08.2024

**हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 15.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयीः-

### 01.थाना जहानागंजः चोरी गये सामान व अवैध गांजा के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार; चोरी की घटना में प्रयुक्त एक टेम्पो सीज।

**पूर्व की घटना-**

अगवत कराना है कि दिनांक 12.08.2024 को वादी मुकदमा अखिलेश पाण्डेय पुत्र श्री माता प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम बोहना थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बहमराह विवेक सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह निवासी ग्राम बोहना थाना जहानागंज जपनद आजमगढ़ के साथ उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि दिनांक 10.08.2024 को वादी के खेत में लगा विद्युत मोटर किर्लोस्कर 3HP गांव के ही विवेक सिंह उपरोक्त का मोटर Crompton Body No.- NG17 है जिसके उपर नीले रंग से पेण्ट किया गया है को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गयी है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-422/2024 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,बनाम अज्ञात चोर, पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 ओम प्रकाश यादव द्वारा की जा रही थी अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरणः-**

दिनांक 15.08.2024 को उ0नि0 ओम प्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त प्रदीप पासवान पुत्र पूजन पासवान निवासी छपरा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष को चोरी गये सामान चोरी की गयी 02 विद्युत मोटर व चोरी गयी सायकिल के पार्ट्स, 02 किलो 200 ग्राम नाजायज गाँजा व घटना में प्रयुक्त एक टेम्पो के साथ सुहवल तिराह से समय 01.20 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 425/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अभियुक्त प्रदीप पासवान उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 10.8.24 की रात को बोहना सिवान मे दो स्थान से चुराये थे। जिसे नीचे उतारकर खोलकर देखा गया तो एक बोरी मे रखा विद्युत मोटर जिस पर किर्लोस्कर 3 HP SR NO- A19YKF001231 तथा दूसरे बोरी मे रखा बिद्युत मोटर पर CROMPTON BODY NO- NG 17 अंकित है जिस पर नीला रंग का पेन्ट लगा हुआ है। चोरी साइकिल पार्ट्स के सम्बन्ध में बताया कि साहब इस बोरी मे मै और मेरा साथी प्रद्युम्न दोनो साथ मिलकर दिनांक 18.6.24 की रात्रि मे सुहवल बाजार मे स्थित एक साइकिल की दुकान मे पीछे के हिस्से के दरवाजा को तोड़कर अंदर घुसकर साइकिल के पुराने व नये पार्ट को चोरी कर लिये थे उस दुकान मे कुछ टायर और ट्यूब और पुराने सामान मिला था। टायर ट्यूब को हम लोग ले जाकर मोहम्दाबाद रेलवे स्टेशन पर बेच दिये थे उसमे हम लोग 5000 रूपया मिला था जिसको हम दोनो आधा आधा बाट लिये थे वह रूपया मुझसे खर्च हो गया।

**पंजीकृत अभियोगः-**

मु0अ0सं0-422/2024 धारा 303(2),317(2) BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 425/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

**आपराधिक इतिहासः-**

1. मु0अ0सं0-422/2024 धारा 303(2),317(2) BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 425/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 314/2024 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्तः**

1- प्रदीप पासवान पुत्र पूजन पासवान निवासी छपरा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-**

01- 02 चोरी की गयी विद्युत मोटर दो अलग अलग बोरी में

02-चोरी गयी सायकिल का पार्ट्स व 01 बोरी मे 02 किलो 200 ग्राम नाजायज

03-घटना मे प्रयुक्त टेम्पो न0 UP 54 T 7435 सीज शुदा अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-**

1.उ0नि0 ओमप्रकाश यादव प्र0उ0नि0 सुधान्सू मिश्रा मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

2. उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता प्र0उ0नि0 शिवम त्यागी मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

**02.थाना देवगांवः पीसीआर पर आये गोतस्कर अपराधी की निशान देही पर 01 चापड़ बरामद।**

**पूर्व की घटना-**

दिनांक- 16.07.2024 को रात्रि गश्त के दौरान का0 प्रवीण कुमार दूबे व हो0गा0 चन्द्रेश कुमार द्वारा सूचना दिया गया कि कैथीशंकरपुर ओवरब्रिज व बेशो नदी पुल के मध्य सड़क के किनारे कुछ लोग प्रतिबन्धित पशु का वध करके खाल उतार रहे थे परन्तु पुलिस वालों को देखकर भाग गये, मौके पर 01 स्कार्पियो गाड़ी नं0- यू.पी 50 जे xxxx) भी खडी थी। इस सूचना पर उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह पहुचे तो देखा गया कि मध्य सडक के पटरी के नीचे 01 प्रतिबन्धित पशु का खाल छिली हुई दशा मे व करीब 1.5 क्विंटल मांस पडा है। इस पर उ0नि0 विनोद कुमार सिंह द्वारा पशु चिकित्सक मांस का नमुना लेने हेतु अवगत कराया गया। वादी मुकदमा उ0नि0 विनोद कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 276/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 बनाम वाहन संख्या UP50Jxxxx के चालक (नाम पता अज्ञात) व अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त मे विवेचना के दौरान अभियुक्तों 1.संजय सरोज पुत्र श्रीराम सरोज साकिन जयगहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, 2.खुर्शीद पुत्र मैनुद्दीन निवासी छाऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, 3.दिलचैन पुत्र मैनुद्दीन निवासी छाऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, 4. अबुलकैश उर्फ कैश मोहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू निवासी मोहम्मदपुर भीटीयां थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 5. शाहिद उर्फ करिया पुत्र खिस्सू उर्फ फिरोज निवासी मुहम्मदपुर भीटियां थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया जो आर्थिक भौतिक व दुनियावी लाभ के लिये साथ मिलकर गोवध जैसे अपराध कारित करते है।

➡ पूर्व में अभियुक्त संजय, अबुकैश व अभियुक्त शाहिद उर्फ करिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा अभियुक्त खुर्शीद व दिलचैन ने मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

**पुलिस रिमाण्ड का विवरण-** दिनांक 14.08.2024 को उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी द्वारा माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण किये अभियुक्त खुर्शीद पुत्र मैनुद्दीन निवासी छाऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2024 के क्रम में दिनांक 14.08.2024 को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड लिया गया। अभियुक्त खुर्शीद पुलिस बल के साथ घटना स्थल आकर अभियुक्त द्वारा घटना स्थल के पास झाड़ी में छिपा कर रखा एक अदद चापड़ बरामद किया गया।

**आपराधिक इतिहास-**

क्र.सं. मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1- 276/2024 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम देवगांव आजमगढ़

2- 74/20203 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट गंभीरपुर आजमगढ़

3- 111/2019 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवा0 अधि0 गंभीरपुर आजमगढ़

**03.थाना- मेंहनगरः अवैध तमंचा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

अगवत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अवैध असलहा रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14.08.2024 को उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह चेकिंग के दौरान जियासड़ भट्ठा से हटवा मोड़ के पास से एक व्यक्ति विशाल कुमार पुत्र हरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम नारीड़िहा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को एक तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतुस 12 बोर के साथ समय करीब 16.45 बजे हटवा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 322 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**04.थाना सिधारी: चोरी गये नकदी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व में चोरी गये 02 कुन्तल सरिया व 01 चाकू के साथ 03 शातिर अपराधी हो चुके है गिरफ्तार।**

**पूर्व की घटना-**

अवगत कराना है कि दिनांक 11.08.24 को वादी मुकदमा विपिन कुमार अग्रवाल S/O मंगरू मुन्नी देवी ग्रामोघोर सेवा चन्द समिति जाफरपुर आजमगढ़ ने थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के फैक्ट्री से कापर फोर लाईन तार, एल्यूमिनियम तार, सरिया, एक्साइड की बैट्री, व इमरान UP बैट्री एल्यूमीनियम डाई की चोरी कर ली गयी है, के सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 300/24 धारा 305 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रमोद मधेशिया द्वारा किया जा रहा है।

दिनांक 11.08.24 को उ0नि0 प्रमोद मद्धेशिया मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. साहिल कुमार पुत्र विजय, 2. शिवम पुत्र बेचूराम निवासीगण पुराठकुराई थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, 3. विवेक पुत्र छोटेलाल निवासी बिहरोजपुर मठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को भदुली अण्डर पास के पास भदुली से 09.55 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मुकदमा उक्त में चोरी की 02 कुन्तल सरिया बरामद किया गया था तथा अभियुक्त विवेक पुत्र छोटेलाल निवासी बिहरोजपुर मठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद हुआ था।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 15.08.24 को उ0नि0 प्रमोद मद्धेशिया मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त परवेश कुमार पुत्र धर्मेन्द्र कुमार निवासी पुराठकुराई थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को नरौली तिराहे से समय 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मुकदमा उक्त में चोरी गये सामान को बेचने से मिला 710 रूपया बरामद हुआ।

**आपराधिक इतिहास**

मु0अ0सं0- 222/23 धारा 34/323/504/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 300/24 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़